भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

13.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2508 का उत्तर

रेलवे में माल ढुलाई राजस्व का विविधीकरण

2508. श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बदलते रुझानों को देखते हुए माल ढुलाई राजस्व के बदलते स्वरूप की समीक्षा की है, जबकि रेलवे के राजस्व का लगभग दो-तिहाई हिस्सा माल ढुलाई परिचालन से आता है और लगभग आधा हिस्सा कोयले से आता है;

(ख) कंटेनरीकृत माल और अन्य गैर-थोक वस्तुओं सहित गैर-कोयला वस्तुओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर माल ढुलाई राजस्व में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारत की ऊर्जा संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में रेलवे की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक राजस्व स्रोतों को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): सरकार वैश्विक ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में विकसित हो रही माल राजस्व स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रही है। वर्तमान आय में कोयले के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानते हुए, भारतीय रेल ने अपनी उत्पाद विविधता बढ़ाने और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। 'बल्क सीमेंट टर्मिनल नीति' जैसे विभिन्न उपायों को पेश किया गया है ताकि कोयला यातायात पर निर्भरता कम की जा सके। 'सुनिश्चित अंतर परिवहन ट्रेन सेवा', सोनिक माल गोदाम (एसआईसी) में 'डोर टू डोर' लॉजिस्टिक सेवाओं और 'डोर टू डोर' पार्सल सेवा जैसी कई पायलट परियोजनाएं भी पेश की गई हैं ताकि कंटेनर कार्गो के राजस्व हिस्से को और मजबूत किया जा सके।

इसके अलावा, माल ढुलाई राजस्व में विविधता लाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेल ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:

- नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए नई लाइनों का निर्माण, मौजूदा लाइनों का बहुपथन और मौजूदा लाइनों का आमान परिवर्तन करके बड़े पैमाने पर रेल नेटवर्क का विस्तार कार्य शुरू किया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान बिछाई गई नई पटरियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	**कमीशन किए गए नए रेलपथ**
2009-14	7,599 किलोमीटर
2014-25	34,428 किलोमीटर

इसके अलावा 01.04.25 तक, **431** (154 नई लाइन, 33 आमान परिवर्तन और 244 दोहरीकरण) परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिनका सारांश निम्नानुसार है:

कोटि	**परियोजनाओं की संख्या**	**कुल लंबाई (कि.मी.)**	**मार्च 2025 तक पूरी की गई लंबाई (कि.मी.)**	**शेष लंबाई (कि.मी.)**	**लागत (करोड़ रु. में)**
नई लाइन	154	16,142	3,036	13,105	3,77,389
आमान परिवर्तन	33	4,180	2,997	1,183	43,820
दोहरीकरण/बहुपथन	244	15,644	6,736	8,909	2,53,711
कुल	**431**	**35,966**	**12,769**	**23,197**	**6,74,920**

- यार्ड का पुनर्निर्माण, बाइपास/कॉर्ड लाइन का निर्माण, रेल फ्लाईओवर आदि द्वारा परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करना।
- लुधियाना से सोननगर (1337 कि.मी.) तक पूर्वी समर्पित माल गलियारा (ईडीएफसी) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी (1506 कि.मी.) तक पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) का निर्माण शुरू किया जा चुका है। कुल 2843 कि.मी. में से 2741 मार्ग कि.मी. (96.4%) को कमीशन किया जा चुका है और परिचालित किया जा रहा है।
- भारतीय रेल ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य को मिशन मोड में शुरू किया है। अब तक लगभग 99.4% बड़ी लाइन नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2014 के पहले और बाद के विद्युतीकरण कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	**मार्ग किलोमीटर**
2014 से पूर्व	21,801
2014-26 (01.03.2026 तक)	47,966

- माल डिब्बों और इंजनों का प्रापण: माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल के माल डिब्बों का बड़ी संख्या में प्रापण किया गया है और इंजनों का निर्माण किया गया है। वर्ष

2014 से 2025 के दौरान, लगभग 2 लाख माल डिब्बों का प्रापण किया गया और माल लदान तथा गतिशीलता बढ़ाने के लिए 10,000 से अधिक इंजन शामिल किए गए हैं।

- सामान्य प्रयोजन के माल डिब्बों, विशेष प्रयोजन/उच्च क्षमता वाले माल डिब्बे सीमेंट, तेल, स्टील, फ्लाई-एश, ऑटोमोबाइल आदि के लिए ऑटोमोबाइल वाहक माल डिब्बों में निवेश में उद्योग की भागीदारी। वित्त वर्ष 2024-25 तक, विशेष प्रयोजन वाले माल डिब्बों के 240 रेक, सामान्य प्रयोजन वाले माल डिब्बों के 374 रेक और ऑटोमोबाइल माल डिब्बों के 48 रेक शामिल किए गए हैं।
- 'गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति के अंतर्गत अब तक 128 नए जीसीटी कमीशन किए गए हैं, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता 198 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 से माल और पार्सल टर्मिनलों के सुधार के लिए 14,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मांग के अनुसार रेकों/माल डिब्बों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अतिरिक्त यातायात ले जाने के लिए प्रति मालडिब्बा भार वहन क्षमता को बढ़ाना। प्रति रेलगाड़ी थ्रूपुट बढ़ाने के लिए मालगाड़ियों की लंबाई भी बढ़ाई गई है।
- माल परिचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ताकि परिसंपत्तियों की निगरानी और उपयोगिता में सुधार हो।
- उच्च अश्वशक्ति वाले इंजनों को शामिल करना।
- माल डिब्बों और इंजनों की अनुरक्षण पद्धतियों में सुधार के परिणामस्वरूप यातायात उपयोग के लिए इंजनों और चल स्टॉक की बढ़ी हुई उपलब्धता।
- अधिक यातायात परिवहन के लिए रेलपथ और सिगनल प्रणाली के मानकों में सुधार।
- नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पद्धितियों को अपनाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण।

उपरोक्त उपायों के कारण माल ढुलाई 2020-21 में 1,233 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 1617 मीट्रिक टन हो गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रेल ने 1617 मीट्रिक टन माल का परिवहन किया और इस प्रकार यह दुनिया में माल ढुलाई का दूसरी सबसे बड़ा रेल बन गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल ने माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने, थोक और छोटे कार्गो के परिवहन के लिए विभिन्न माल ढुलाई प्रोत्साहन योजनाओं को अपनाने एवं विभिन्न रियायतों और सेवाओं के माध्यम से माल ढुलाई खंड में सुधार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- टैंक कंटेनरों में थोक सीमेंट के लिए सकल टन किलोमीटर आधारित ढुलाई दर की शुरूआत।
- तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएँ (एफएमसीजी), व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव घटकों आदि के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कार्गो एग्रीगेटर परिवहन उत्पाद।
- पारंपरिक रूप से खाली दिशाओं में उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा छूट योजना।
- कम गमन दूरी के यातायात पर रियायत।

- खुले/सपाट स्टॉक और ढके हुए मालडिब्बों में बुक किए गए फ्लाई ऐश/बेड ऐश यातायात के मालभाड़े में छूट।
- ऑटोमोबाइल यातायात की ढुलाई दर का युक्तीकरण।
- व्यस्त मौसम शुल्क लगाने से छूट प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस परिवहन को बढ़ावा देना।
- ऑटोमोबाइल स्टॉक की क्षमता बढ़ाने के लिए, विभिन्न नए मालडिब्बों जैसे एसीटी।, एसीटी ।।, एसीटी ।।।, एनएमजीएचएस आदि पेश किए गए हैं।
- केमिकल जिप्सम और टाइल्स यातायात के कंटेनरों के खाली ढुलाई पर छूट।
- पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट फूड ग्रेड, आरयूएफ पिच, द्रवीकृत आइसोब्यूटाइलिन, द्रवीकृत इथेन आदि जैसी नई वस्तुओं का वर्गीकरण।
